

Directorate of Urban Local Bodies, Panchkula, Haryana.

STANDARD OPERATING PROCEDURE – 2 "Correction in Property Details"

(For Proactive Service Delivery of Services Under Property Tax Management System)



Contents

Pur	pose of the Document	4
1.	Services	2
2.	Stakeholders	. 2
	Pre-requisite:	
	vices, Timelines, and Responsibilities	
	.1. Service: Property Details: The correction in Property Details includes:	
	.1. Selvice, Flodelty Details. The correction in Floderty Details includes	



STANDARD OPERATING PROCEDURE						
Department	Directorate of Urban Local Bodies, P	anchkula, Haryana				
SOP Title	Standard Operating Procedure for pr	Standard Operating Procedure for proactive service delivery of Property Tax Management System				
SOP Number	02					
Version Number	02					
Effective Date	01-09-2023					
	Prepared by	Reviewed by	Approved by			
Name & Designation	1. Y S Gupta	Dr Yashpal, IAS	Vikas Gupta, IAS			
	Additional Director,	Director, Urban Local Bodies	Commissioner & Secretary, Urban			
	Urban Local Bodies Department,	Department, Haryana	Local Bodies Department, Haryana			
	Haryana					
	2. K K Varshney,					
	Chief Town Planner,					
	Urban Local Bodies Department,					
	Haryana					
Date	28-08-2023					
Signature						



Purpose of the Document: This document comprises the processes that shall be followed for proactive service delivery of Property Tax Management System.

1. Services:

a) Correction in Property details.

2. Stakeholders:

- i. Property Owner
- ii. All Municipalities in the state of Haryana
- iii. Directorate of Urban Local Bodies (I.T. Cell)

3. Pre-requisite:

Sr. No.	Description	Action By
1	Creation of Login for District Municipal Commissioner (DMC) and Commissioner Municipal Corporation (CMC)	Directorate of Urban Local Bodies, Haryana
2	Creation of ULB Admin ID	District Municipal Commissioner (DMC) and Commissioner Municipal Corporation (CMC)
3	Creation of Maker /Checker	ULB Admin
4	Assignment of Colonies to Maker/Checker	ULB Admin Please note that the objections will be auto-forwarded by the system in the login of the concerned maker/checker who has been assigned the colony / objection type. Colony-wise and Objection-Type wise assignment of Maker/Checker is required to be done through Admin User ID. Detailed user manual for assignment of colonies is already uploaded on the portal.



Services, Timelines, and Responsibilities:

3.1. Service: Property Details: The correction in Property Details includes:

- a) Size (Area) of the building/Plot
- b) Image (Photo) of the building/Plot
- c) Address of the property
- d) Correction of the floor details
- e) Category of property

Timeline:

- a) Normal Case: timeline to dispose-off the case is 10 working days.
- b) Tatkal Case: timeline to dispose-off the case is 02 working days

The processing of correction in the property details shall be undertaken as follows:

T = the date of receipt of the application

C. No.	Activity /	Activity / Description	Deeneneikilihy	Timeline	
S. No.	Action Point	Description	Responsibility	Normal Case	Tatkal Case
1.	Correction in	Document Verification:	Maker		
	"Property	All the documents uploaded by			
	Details"	citizen pertaining to the correction in	Maker shall examine the documents uploaded	T + 01 day	T + 01 day.
		"any of the property details" shall be	by the Citizen and acknowledge all uploaded		
		verified and acknowledged as per	documents		
		the listed required documents.			
		For applications related to size			
		correction, photo correction, and			
		correction in the address of			
		property- the documents attached			
		by the applicant be referred and co-			
		related with his request for			
		correction.			



S. No.	Activity /	ity / Description	Deenensibility	Timeline	
S. No.	Action Point	Description	Responsibility	Normal Case	Tatkal Case
		If the case pertains to deleting/adding a floor(s) and Change in the Category of the property then along with the document verification, a site visit report is required to be uploaded on the portal.	Maker Maker shall also visit the site and the report to be uploaded within 2 days' time	T + 03 days	
		After scrutiny, either Recommend for Approval OR Revert to Citizen:	Maker		
		a) In case of any discrepancy observed in the document, the case is to be marked as "Revert to Citizen" with clear description of the observation for compliance. 'Or'	Maker Maker shall revert the Citizen (in case of any discrepancy found in the document) Maker to make sure that all the observations are sent at once.	T + 03 days	
		However, the application is to be marked online only on the NDC portal. No OFFLINE processing is to be done. 'Or'	Maker The maker can forward the case to any officer/ official for comments	T + 03 days	
		c) Forward the case to Checker with a recommendation to "approve".	Maker Post verification of all the uploaded documents of the Citizen, the Maker shall submit the documents to Checker for approval.	T + 04 days = T1	



S. No.	Activity /	Description	Responsibility	Time	eline
5. NO.	Action Point	Description	Responsibility	Normal Case	Tatkal Case
		Approval: a) Upon recommendation of the Maker, Checker shall scrutinize the documents provided by the owner with the listed requisite documents.	Checker The checker shall examine and acknowledge all the documents verified by the Maker. Further, the Checker shall revert to Maker	T1 + 01 day	
		Reverting to maker If checker is not satisfied with the scrutiny of the Maker, he can revert the case back to Maker. Maker shall have to respond on the checker's query.			
		Further, wherever required, the Checker can forward the case to any officer/official for comments. However, the application is to be marked online only on the NDC portal. No OFFLINE processing is to be done.	Checker The checker can forward the case to any officer/ official for comments	T1 + 02 days	T + 01 day
		Approval of the application	The checker shall approve the application if case is found fit for approval.	T1 + 03 days	
		REVERSION REASON	Reasons for reversion: 1. Variation observed in site details during site visit vis-à-vis the details uploaded on the portal. (Select from Drop Down) a. Variation in Property Size b. Variation in Floor Details c. Variation in Category 2. Mismatch in the uploaded Property image vis-à-vis the actual property image		



C No	Activity /	Description	Pognonsihility	Tim	eline
S. No.	Action Point	Description	Responsibility	Normal Case	Tatkal Case
			obtained during the site visit 3. Ownership proof not uploaded. 4. Copy of Electricity/Water Bill not uploaded for address correction 5. Copy of the approved Building Plan / Occupation Certificate showing the address if available not uploaded 6. Floor Details not uploaded 7. Property Image not uploaded 8. Ownership proof not legible (readable) 9. Copy of Electricity/Water Bill for address correction not legible 10.Copy of the approved Building Plan / Occupation Certificate showing the address if available not legible (readable) 11.Floor Details not legible (readable) 12.Property Image not legible (readable) 13.Any other reason, please mention in detail in the comment box		
		a) All application reverted by Checker to Maker are to be resubmitted to Checker after reexamination of the application.	Maker	T1 + 02 day	Within 4 hours of receipt of application
		b) After receiving maker's reply, Checker will dispose-off the application	Checker	T1 + 03 day	Within 4 hours of receipt of application from the maker



C No	Activity /	tivity / Description	Pognonsihilitu	Timeline	
S. No.	Action Point	Description	Responsibility	Normal Case	Tatkal Case
	Rejection of Objections	Maker to scrutinise the objection raised and recommend for Rejection to the Checker only in case the objection is raised against the Wrong Property ID	Maker	T2 = T+02	Within 4 hours of receipt of application
		Checker to reject the cases if it is raised against the Wrong Property ID	Checker	T2 + 02	Within 4 hours of receipt of application from the maker

Auto-generated SMS from the portal will be forwarded to the citizen in case of 'Revert to Citizen'.

Rejection Case:

The objection can be rejected if it is raised against the Wrong Property ID.

Rejection reason:

Objection Raised against wrong Property ID.

Note:

In case the objection is submitted against the wrong Property ID and the correct Property ID is identified. The Checker should update the details in the correct Property ID, provided the documents submitted by the applicant are sufficient to do so.



Documents, Do's & Don'ts pertaining to correction in Property details

Documents Involved

- 1. For Correction of Area Anyone of Sale deed/conveyance deed, Transfer deed/Relinquishment deed/release deed/Jamabandi/Farad, Allotment letter, Re-allotment letter in planned schemes, Court decree.
- 2. For Correction of Address (anyone):
 - a. Sale deed/conveyance deed, Transfer deed/Relinquishment deed/release deed/Jamabandi/Farad, Allotment letter, re-allotment letter in planned schemes
 - b. Copy of Electricity/Water Bill
 - c. Copy of the approved Building Plan / Occupation Certificate showing address if available
- 3. For Correction of Category, Floor Details, Property Image
 - a. Property Image
 - b. Sale deed/conveyance deed, Transfer deed/Relinquishment deed/release deed/Jamabandi/Farad, Allotment letter, re-allotment letter in planned schemes / Group Housing

Additional documents required for properties under Lal – Dora Areas (any one of the following):

- a. Where Owner details are Null or NA, the required details to be updated based on the ULBs old Property data record (Property Register) or Panchayat record
- b. Court Decree registered with the revenue authorities
- c. Registry / Sale Deed

Do provide specific and detailed reasons for reverting to citizen.

Don't use any manual or offline mode of processing, as all processes must be updated online.





शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, पंचकुला, हरियाणा।

मानक संचालन प्रक्रिया - 2 "प्रॉपर्टी विवरण में सुधार"

(प्रॉपर्टी कर प्रबंधन प्रणाली के तहत सेवाओं की सक्रिय सेवा वितरण के लिए)



अंतर्वस्तु

दस्त	नावेज़ का उद्देश्य	 . 4
	सेवाएँ	
	हितधारक	
	पूर्व अपेक्षितः	
सेवा	एँ, समय-सीमाएँ और जिम्मेदारियाँ	 . 5
3	1 सेवा : पॉपर्टी विवरण : पॉपर्टी विवरण में सधार में शामिल हैं:	5

मानक संचालन प्रक्रिया					
विभाग	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, पंचकुला, ही	रेयाणा			
एस.ओ.पी. शीर्षक	स.ओ.पी. शीर्षक प्रॉपर्टी कर प्रबंधन प्रणाली की सक्रिय सेवा वितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया				
एस.ओ.पी. नंबर	02				
संस्करण संख्या	02				
प्रभावी तिथि	01-09-2023				
	द्वारा तैयार	द्वारा समीक्षित	के द्वारा अनुमोदित		
नाम एवं पदनाम	1. वाई.एस. गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक,	डॉ. यशपाल, आई.ए.एस.	विकास गुप्ता, आई.ए.एस.		
(#)	शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग,	आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय		
	2. के.के. वार्ष्णेय, मुख्य नगर नियोजक,	हरियाणा	विभाग, हरियाणा		
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा				
तारीख	28-08-2023				
हस्ताक्षर					



दस्तावेज़ का उद्देश्य : इस दस्तावेज़ में वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका पालन प्रॉपर्टी कर प्रबंधन प्रणाली की सक्रिय सेवा वितरण के लिए किया जाएगा।

1. सेवाएँ :

a) प्रॉपर्टी विवरण में सुधार.

2. हितधारक:

- i. प्रॉपर्टी का मालिक
- ii. हरियाणा राज्य की सभी नगर पालिकाएँ
- iii. शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (आईटी सेल)

3. पूर्व अपेक्षितः

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही द्वारा
1	जिला नगर आयुक्त (डी.एम.सी.) और आयुक्त नगर निगम (सी.एम.सी.) के लिए लॉगिन का निर्माण	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा
2	यू.एल.बी. एडमिन आई.डी. का निर्माण	जिला नगर आयुक्त (डी.एम.सी.) और आयुक्त नगर निगम (सी.एम.सी.)
3	मेकर/चेकर का निर्माण	यू.एल.बी. एडमिन
4	मेकर/चेकर को कालोनियों का आवंटन	यू.एल.बी. एडमिन कृपया ध्यान दें कि आपत्तियां संबंधित मेकर/चेकर के सिस्टम में लॉगिन द्वारा स्वचालित रूप से अग्रेषित की जाएंगी जिन्हें कॉलोनी/आपत्ति प्रकार सौंपा गया है। मेकर/चेकर का कॉलोनी-अनुसार और आपत्ति-प्रकार के अनुसार असाइनमेंट एडमिन यूजर आईडी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। कॉलोनियों के आवंटन के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल पहले से ही पोर्टल पर अपलोड किया गया है।



सेवाएँ, समय-सीमाएँ और जिम्मेदारियाँ:

3.1. सेवा : प्रॉपर्टी विवरण : प्रॉपर्टी विवरण में सुधार में सम्मिलित हैं:

- a) भवन/भूखंड का आकार (क्षेत्रफल)
- b) भवन/भूखंड की छवि (फोटो)।
- c) प्रॉपर्टी का पता
- d) फ्लोर विवरण का सुधार
- e) प्रॉपर्टी की श्रेणी

समयरेखाः

a) सामान्य मामला : मामले को निपटाने की समयसीमा 10 कार्य दिवस है।

b) तत्काल मामले : मामले को निपटाने की समयसीमा 02 कार्य दिवस है

प्रॉपर्टी विवरण में सुधार की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाएगी:

दी = आवेदन प्राप्त होने की तारीख

- ÷	गतिविधि /	विवरण	ज़िम्मेदारी	₹	। मय
क्र.सं.	कार्रवाई बिन्दु	विवरण	। ज्ञान्मदारा	सामान्य मामला	तत्काल मामला
1.	"प्रॉपर्टी	दस्तावेज्ञ सत्यापन :	मेकर		
	विवरण" में सुधार	"किसी भी प्रॉपर्टी विवरण" में सुधार से संबंधित नागरिक द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को सूचीबद्ध आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार सत्यापित और स्वीकार किया जाएगा।	मेकर नागरिक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा और अपलोड किए गए सभी	टी+01 दिन	टी+01 दिन.
		आकार सुधार, फोटो सुधार और प्रॉपर्टी के पते में सुधार से संबंधित आवेदनों के लिए - आवेदक द्वारा सुधार के अनुरोध को संलग्न	दस्तावेजों को स्वीकार करेगा		
		दस्तावेजों से संदर्भित और सहसंबंधित किया जाना चाहिए।			



क्र.सं.	गतिविधि / कार्रवाई बिन्दु	विवर्ण	ज़िम्मेदारी	समय	
				सामान्य मामला	तत्काल मामला
		यदि मामला किसी फ्लोर को हटाने/सम्मालित और प्रॉपर्टी की श्रेणी	मेकर		
		में बदलाव से संबंधित है तो दस्तावेज सत्यापन के साथ, साइट विजिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।	मेकर को साइट का भी दौरा करना होगा और रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर अपलोड करनी होगी	टी + 03 दिन	
		जांच के बाद, या तो अनुमोदन के लिए अनुशंसा करें या नागरिक को रिवर्ट करें:	मेकर		
		a) दस्तावेज़ में किसी भी विसंगति के मामले में, अनुपालन के लिए	मेकर		
		अवलोकन के स्पष्ट विवरण के साथ मामले को " रिवर्ट टू सिटीजन" के रूप में किया जाना चाहिए। 'या'	मेकर नागरिक को रिवर्ट कर देगा (दस्तावेज़ में कोई विसंगति पाए जाने पर)	टी + 03 दिन	
			मेकर यह सुनिश्चित करें कि सभी अवलोकन एक ही बार में भेजे जाएं।		
		b) इसके अलावा, जहां भी आवश्यक हो, मेकर टिप्पणी के लिए मामले को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भेज सकता है। हालाँकि, आवेदन केवल एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित किया जाना है। कोई ऑफ़लाइन प्रसंस्करण नहीं किया जाना है। 'या'	मेकर मेकर टिप्पणी के लिए मामले को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भेज सकता है	टी + 03 दिन	
		c) मामले को "अनुमोदन" की अनुशंसा के साथ चेकर को अग्रेषित करें।	मेकर नागरिक के सभी अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, मेकर अनुमोदन के लिए दस्तावेज़ों को चेकर को प्रस्तुत करेगा	टी + 04 दिन = टी1	



क्र.सं.	गतिविधि / कार्रवाई बिन्दु	विवरण	ज़िम्मेदारी	समय	
क्र.स. व				सामान्य मामला	तत्काल मामला
		अनुमोदन: a) मेकर की अनुशंसा पर, चेकर सूचीबद्ध अपेक्षित दस्तावेजों के साथ मालिक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा। मेकर को रिवर्ट करना: यदि चेकर मेकर की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह मेकर को मामला रिवर्ट कर सकता है। मेकर को चेकर के प्रश्न पर उत्तर देना होगा।	चेकर चेकर मेकर द्वारा सत्यापित सभी दस्तावेजों की जांच करेगा और उन्हें स्वीकार करेगा। इसके अलावा, चेकर मेकर को रिवर्ट करेगा	ਟੀ1 + 01 दिन	ਟੀ+01 दिन
	इसके अलावा , जहां भी आवश्यक हो, चेकर टिप्पणी के लिए मामले को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भेज सकता है। हालाँकि, आवेदन केवल एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित किया जाना है। कोई ऑफलाइन प्रसंस्करण नहीं किया जाना है। आवेदन की स्वीकृति प्रत्यावर्तन कारण	मामले को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भेज सकता है। हालाँकि, आवेदन केवल एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित किया जाना है। कोई ऑफ़लाइन प्रसंस्करण नहीं किया जाना है।	चेकर चेकर टिप्पणी के लिए मामले को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भेज सकता है यदि मामला अनुमोदन के लिए उपयुक्त पाया	टी1 + 02 दिन टी1 + 03 दिन	
		जाता है तो चेकर आवेदन को मंजूरी दे देगा। प्रत्यावर्तन के कारण : 1. साइट विजिट के दौरान पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण की तुलना में साइट विवरण में भिन्नता देखी गई। (ड्रॉप डाउन से चुनें) a. प्रॉपर्टी के आकार में भिन्नता b. फर्श के विवरण में भिन्नता c. श्रेणी में भिन्नता			



क्र.सं.	गतिविधि / कार्रवाई बिन्दु	विवरण	ज़िम्मेदारी	समय	
				सामान्य मामला	तत्काल मामला
			2. साइट विज़िट के दौरान प्राप्त वास्तविक		
			प्रॉपर्टी छवि की तुलना में अपलोड की गई		
			प्रॉपर्टी छवि में बेमेल		
			3. स्वामित्व प्रमाण अपलोड नहीं किया गया.		
			4. पता सुधार के लिए बिजली/पानी बिल की		
			प्रति अपलोड नहीं की गई है		*
			5. अनुमोदित भवन योजना/व्यवसाय प्रमाण		
			पत्र की प्रति, जिसमें पता दर्शाया गया हो,		
			यदि उपलब्ध हो तो अपलोड नहीं किया		
			गया		
			6. फ़्लोर विवरण अपलोड नहीं किया गया		
			7. प्रॉपर्टी छवि अपलोड नहीं की गई		
			8. स्वामित्व प्रमाण सुपाठ्य(पढ़ने योग्य) नहीं		
			9. पता सुधार के लिए बिजली/पानी बिल की		
			प्रति सुपाठ्य(पढ़ने योग्य) नहीं है		
			10.अनुमोदित भवन योजना/व्यवसाय प्रमाण		
			पत्र की प्रतिलिपि, जिसमें पता दर्शाया गया		
			हो, यदि उपलब्ध हो तो सुपाठ्य(पढ़ने		
			योग्य) नहीं है		
			11.फर्श का विवरण सुपाठ्य(पढ़ने योग्य) नहीं		
			12.प्रॉपर्टी छवि सुपाठ्य(पढ़ने योग्य) नहीं		
			13.कोई अन्य कारण कृपया कमेंट बॉक्स में		
			विस्तार से बताएं		



क्र.सं.	गतिविधि / कार्रवाई बिन्दु	विवरण	ज़िम्मेदारी	समय	
				सामान्य मामला	तत्काल मामला
		a) चेकर द्वारा मेकर को रिवर्ट किये गए सभी आवेदनों को दुबारा	मेकर	टी1+02 दिन	आवेदन प्राप्त होने के 4
		जांच के बाद चेकर को पुनः प्रस्तुत करेगा			घंटे के भीतर
		b) मेकर का उत्तर प्राप्त होने के बाद, चेकर आवेदन का निपटान	चेकर	ਟੀ1+03 दिन	मेकर से आवेदन प्राप्त
		करेगा			होने के 4 घंटे के भीतर
	आपत्तियों की	मेकर स्थापित अप्पतियो की जाँच करेगा और चेकर को	मेकर	ਟੀ2 = ਟੀ+02	आवेदन प्राप्त होने के 4
	अस्वीकृति	अस्वीकृत की अनुशंसा केवल उस मामले में करेगा जहा अपति			घंटे के भीतर
		गलत प्रॉपर्टी आईडी में हो			
		चेकर मामलों को अस्वीकार कर देगा जहा अपत्ति गलत आईडी	चेकर	ਟੀ2+02	मेकर से आवेदन प्राप्त
		के विरुद्ध स्थापित है			होने के 4 घंटे के भीतर

'रिवर्ट टू सिटीजन' के मामले में पोर्टल से ऑटो-जनरेटेड एसएमएस नागरिक को भेजा जाएगा।

अस्वीकृति मामलाः

गलत प्रॉपर्टी आईडी के खिलाफ स्थापित आपित खारिज की जा सकती है।

अस्वीकृति का कारण:

गलत प्रॉपर्टी आईडी पर आपत्ति जताई गई।

टिप्पणी:

यदि आपत्ति गलत संपत्ति आईडी के खिलाफ स्थापित की गई है और सही संपत्ति आईडी की पहचान हो गई है। चेकर को सही संपत्ति आईडी में विवरण अपडेट करने होंगे, बशर्ते आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेज पर्याप्त हों।



प्रॉपर्टी विवरण में सुधार से संबंधित दस्तावेज़, क्या करें और क्या न करें

शामिल दस्तावेज

- 1. क्षेत्र के सुधार के लिए सेल डीड/कन्वेयन्स डीड,स्थानांतरण डीड /त्याग डीड /मुक्ति डीड /जमाबंदी/फरद, आवंटन पत्र, नियोजित योजनाओं में पुन: आवंटन पत्र, न्यायालय डिक्री में से कोई भी।
- 2. पते में सुधार के लिए (कोई भी):
 - a. सेल डीड/कन्वेयन्स डीड, स्थानांतरण डीड /त्याग डीड /मुक्ति डीड /जमाबंदी/फरद, आवंटन पत्र, नियोजित योजनाओं में पुनः आवंटन पत्र
 - b. बिजली/पानी बिल की प्रति
 - c. यदि उपलब्ध हो तो पते को दर्शाने वाले अनुमोदित भवन योजना/व्यवसाय प्रमाण पत्र की प्रति
- 3. श्रेणी, फ्लोर विवरण, प्रॉपर्टी छवि के सुधार के लिए
 - a. प्रॉपर्टी छवि
 - b. सेल डीड/कन्वेयन्स डीड, स्थानांतरण डीड /त्याग डीड /मुक्ति डीड /जमाबंदी/फरद, आवंटन पत्र, नियोजित योजनाओं/ग्रुप हाउसिंग में पुनः आवंटन पत्र अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज़, लाल-डोरा क्षेत्र के अंतर्गत प्रॉपर्टीयों के लिए (निम्नलिखित में से कोई एक):
 - a. जहां मालिक का विवरण शून्य या एन०ए० है, वहां आवश्यक विवरण यूएलबी के पुराने प्रॉपर्टी डेटा रिकॉर्ड (प्रॉपर्टी रजिस्टर) या पंचायत रिकॉर्ड के आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
 - b. राजस्व अधिकारियों के साथ पंजीकृत न्यायालय डिक्री
 - c. रजिस्ट्री/सेल डीड

नागरिक को रिवर्ट लौटने के लिए विशिष्ट और विस्तृत कारण अवश्य बताएं। प्रसंस्करण के किसी भी मैनुअल या ऑफ़लाइन मोड का उपयोग न करें, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन अपडेट किया जाना चाहिए।

